"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 673] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 नवम्बर 2026 — कार्तिक 12, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2026

अधिसूचना

RULE-801/86/2026-GAD-1.— यतः, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यतः, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने पत्र क्र. 13 (11)/2023-EG-11, दिनांक 04 अगस्त, 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन (जो इसमें इसके पश्चात् शासन के रूप में निर्दिष्ट है) के सामान्य प्रशासन विभाग (जो इसमें इसके पश्चात् अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट है) को आधार प्रमाणीकरण फॉर गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) नियम, 2020 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए उक्त शासन/मंत्रालय/विभाग/अभिकरण का प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने हेतु आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप निर्दिष्ट है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) सहपठित उक्त नियमों के नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सके;

और यतः, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजन (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन के रूप में निदिष्ट है) के लिए प्रतिरूपण, दोहराव, धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने तथा सटीकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हाँ/नहीं या/तथा ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं के माध्यम से की जाएगी तथा उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा तथा उक्त मंत्रालय/विभाग/अभिकरण छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीएसएसबी) के द्वारा आधार प्रमाणीकरण केवल पहचान स्थापित करने हेतु किया जाएगा (क) मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने के समय; और (ख) परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित परीक्षा कार्यकारियों की पहचान (जो इसमें इसके पश्चात् प्रयुक्त के रूप में निदिष्ट है);

एतएव, विभागीय अधिसूचना क्रमांक RULE-801/86/2026-GAD-1 दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को अधिक्रमित करते हुए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (दो) सहपठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय/विभाग/अभिकरण एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित किया जाता है, अर्थातः-

1. (1) अधिनियम में यथा उपबंधित मंत्रालय/विभाग/अभिकरण, यहां वर्णित प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा, मंत्रालय/विभाग/अभिकरण आधार संख्या धारक को पहचान स्थापित करने के वैकल्पिक एवं व्यवहारिक साधनों के बारे में सूचित करेगा तथा आधार संख्या धारक को प्रमाणीकरण कराने से इंकार करने अथवा आधार प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को किसी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्:-

(क) मतदाता पहचान पत्र

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस

(ग) पासपोर्ट

(घ) पैन कार्ड

(ङ) हाई स्कूल (कक्षा दसवीं) की अंकसूची।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2026

RULE-801/86/2026-GAD-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक RULE-801/86/2026-GAD-1, दिनांक 3-11-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd November 2026

NOTIFICATION

RULE-801/86/2026-GAD-1.— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. 13(11)/2023-EG-II, dated 04th August 2026 to the General Administration Department (hereinafter referred to as the agency), Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/ Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for preventing impersonation, duplication, fraudulent activities, and to ensure accuracy & integrity using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (herein referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) ofrule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication by Chhattisgarh Staff Selection Board (CSSB), only for establishing the identity of (a) candidate at various stage of examinations conducted by the board & at the time of their joining; & (b) examination functionaries involved in the examination process. [herein referred to as the use case]

Now, therefore in supersession of the previously issued Department's notification No. RULE-801/86/2026-GAD-1, dated 11 September, 2026 in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry/Department/Agency hereby notifies the following, namely: -

1. (1) The Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

 (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

 (a) Voter Identification Card

 (b) Driving License

 (c) Passport

 (d) PAN Card

 (e) High School (Class-X) Marksheet.

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामगो, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.